प्रेस नोट पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद दिनांक 16.07.2026

कमिश्नरेट गाजियाबाद पुलिस द्वारा 09 शातिर अपराधियों के विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट के अन्तर्गत कार्यवाही की गयी ।

श्रीमान पुलिस आयुक्त महोदय, कमिश्नरेट गाजियाबाद व श्रीमान पुलिस उपायुक्त नगर महोदय, कमिश्नरेट गाजियाबाद के निर्देशानुसार अपराध एवं अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपराध नियंत्रण हेतु 09 शातिर अपराधियों के विरूद्ध नगर जोन के थाना विजयनगर/नन्दग्राम पर गैंगस्टर एक्ट के अन्तर्गत कार्यवाही की गयी है, जिनके विरूद्ध कमिश्नरेट गाजियाबाद व अन्य जनपदों के विभिन्न थानों पर 37 से अधिक अभियोग पंजीकृत हैं। शातिर अपराधियों का विवरण निम्नवत है ।

नाम थाना	क्र0 सं0	अपराधी का नाम	उम्र	पंजीकृत अभियोग की संख्या
विजयनगर	1	प्रेमपाल पुत्र ओमबीर निवासी रायल टाबर के पीछे झुग्गी डूब क्षेत्र सिद्धार्थ बिहार थाना विजयनगर	27 वर्ष	1
	2	अजय पाडुई पुत्र पोरन पाडुई निवासी टीएनटी के सामने झग्गी झोपडी सिद्धार्थ बिहार थाना विजयनगर	22 वर्ष	1
नन्दग्राम	3	गोल्डी गुप्ता पुत्र अरुण गुप्ता निवासी ए 2/83 सफदरगंज एन्कलेव थाना सफदरगंज साउथ वेस्ट दिल्ली नई दिल्ली	53 वर्ष	20
	4	नितिन गुप्ता पुत्र अरुण गुप्ता निवासी ए 2/83 सफदरगंज एन्कलेव थाना सफदरगंज साउथ वेस्ट दिल्ली नई दिल्ली	47 वर्ष	9
	5	संजय यादव पुत्र ओमप्रकाश निवासी 280 ग्राउण्ड फ्लोर सै0 3एफ वैशाली आई.ई. थाना साहिबाबाद	48 वर्ष	2
	6	मयंक गुप्ता पुत्र मनोज गुप्ता निवासी डी 305 स्टार रामेश्वरम, राजनगर एक्सटेंशन थाना नन्दग्राम	32 वर्ष	1
	7	कालीचरन पुत्र शंकरपाल निवासी आईआई ई198ए कामना वैशाली, पुलिस चौकी के पास आई इ साहिबाबाद आई ई साहिबाबाद	48 वर्ष	1
	8	अभिनव मोहन डाग पुत्र मुकेश कुमार डाग निवासी ए98/99एफ ख0नं0 547 टॉप फ्लोर देवली रोड़ राजु पार्क खानपुर डॉ अम्बेड़कर नगर, साउथ दिल्ली	48 वर्ष	1
	9	निशा गुप्ता पत्नी मनोज गुप्ता निवासी डी 305 स्टार रामेश्वरम, राजनगर एक्सटेंशन थाना नन्दग्राम	67 वर्ष	1

थाना अंकुर विहार पुलिस द्वारा अभियोग में वांछित अभियुक्ता गिरफ्तार ।

दिनांक 27.10.2025 को थाना अंकुर विहार पर वादिया द्वारा तहरीर दी गई कि अभियुक्त अंकुर व अजय द्वारा वादिया की नाबालिग पुत्री को बहला फुसला कर ले जाना तथा वादिया के साथ गाली गलौच कर जान से मारने की धमकी देना। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना अंकुर विहार पर तत्काल धारा 137(2)/352/351(2)/351(3) बीएनएस के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया तथा अपहृता की बरामदगी व अभियुक्तगण की गिरफ्तारी हेतु पुलिस टीम का गठन किया गया। तत्पश्चात थाना अंकुर विहार पुलिस टीम द्वारा अपहृता को बरामद किया गया। विवेचना के दौरान मेडिकल रिपोर्ट व पीडिता के बयानों के आधार पर उपरोक्त अभियोग में धारा 65(1)/87 बीएनएस व 5(N)/6 पॉक्सो एक्ट की वृद्धि की गयी तथा साक्ष्य संकलन के आधार पर अभियुक्ता पुष्पा का नाम प्रकाश में आया। उपरोक्त प्रकरण में दिनांक 01.11.2025 को अभियुक्त अजय पुत्र बृजपाल तथा दिनांक 10.07.2026 को अभियुक्त अंकुर पुत्र बृजपाल निवासीगण ग्राम गौरीपुर निवाडा थाना कोतवाली जनपद बागपत को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है।

आज दिनांक 16.07.2026 को थाना अंकुर विहार पुलिस टीम द्वारा उपरोक्त अभियोग में वांछित अभियुक्ता पुष्पा पत्नी अंकुर निवासी ग्राम गौरीपुर निवाडा थाना कोतवाली जनपद बागपत उम्र करीब 30 वर्ष को थाना अंकुर विहार क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया। अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण-

अभियुक्ता ने पूछताछ के दौरान बताया कि मैं अंकुर की पत्नी हूँ और मेरे देवर का नाम अजय है। अजय और पीडिता आपस में बातचीत करते थे। दिनांक 23.10.2025 को मैंने अपनी रिश्तेदार/पीडिता को किसी बहाने से गाजियाबाद बुलाया था और मैं और मेरा पति अंकुर पीडिता की शादी अजय से कराना चाहते थे। अजय और अंकुर पीडिता को अपने साथ लेकर पानीपत चले गया था।

गिरफ्तार अभियुक्ता का नाम व पता –

पुष्पा पत्नी अंकुर निवासी ग्राम गौरीपुर निवाडा थाना कोतवाली जनपद बागपत, उम्र करीब 30 वर्ष।

आपराधिक इतिहास/ पंजीकृत अभियोग-

अभियुक्ता के विरुद्ध उपरोक्त प्रकरण के संबंध में थाना अंकुर विहार पर 01 अभियोग पंजीकृत है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तारी करने वाली टीम–

थाना अंकुर विहार पुलिस टीम।